



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं0 पटना 800) पटना शुक्रवार 17 जुलाई 2026

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

10 जुलाई 2026

सं० 15/खा०-46-13/23/244(15B) स्वा०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित प्रावधान के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य संरक्षा संवर्ग) के अधीन राज्यांतर्गत कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित सहायक अभिहित अधिकारियों को अभिहित अधिकारी के पद पर विहित वेतनमान (वेतन स्तर-09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर प्रभार दिया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	वरीयता क्रमांक (2019)	वर्तमान कोटि
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार मुंगेर	01	सहायक अभिहित अधिकारी
2	श्री मुकेश जी कश्यप पटना	02	सहायक अभिहित अधिकारी
3	श्री नारायण राम औरंगाबाद	03	सहायक अभिहित अधिकारी
4	मो० इकबाल समस्तीपुर	04	सहायक अभिहित अधिकारी
5	श्री अशोक कुमार सिन्हा पटना	12	सहायक अभिहित अधिकारी
6	श्री जितेन्द्र प्रसाद पटना	13	सहायक अभिहित अधिकारी
7	श्री सुदामा चौधरी जहानाबाद	14	सहायक अभिहित अधिकारी

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अभिहित अधिकारी (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।
4. खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति या पदस्थापन होने या अगले आदेश तक कार्यहित में उपर्युक्त अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदीय दायित्वों एवं कृत्यों के निर्वहन हेतु भी प्राधिकृत किया जाता है।
5. उपर्युक्त अधिकारियों को योगदान/पदभार ग्रहण करने की तिथि से अभिहित अधिकारी के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद के प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्णा उरॉव,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 800-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>